हरिभूमि

शौर्य भूमि

मंडला| अंजिनया | भुआबिछिया | बम्हनीबंजर | नैनपुर | निवास | बीजाडांडी

जबलपुर, बुधवार 22 जुलाई 2026

login : www.haribhoomi.com

खबर संक्षेप

आकाशीय बिजली/बज्रपात से बचाव हेतु सुझाव

मण्डला। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. डी.जे. मोहन्ती ने जानकारी दी कि वर्षा ऋतु में आकाशीय बिजली गिरने की अधिक संभावना होती है। आकाशीय बिजली/ बज्रपात के लिए बाहरी गतिविधियों खेतों, औद्योगिक स्थान, लोडिंग और अनलोडिंग जैसे निर्माण और साम्रगी हेंडलिंग वाले स्थानों पर काम करने वाले लोग सर्वाधिक संवेदनशील होते है। विशेष रूम/ कमरा से उंची नुकीली संरचनाओं पेड़ों पर बज्रपात की अधिक संभावना होती है एवं एक ही स्थान पर कई बार बज्रपात हो सकता है। आकाशीय बिजली वर्ष के किसी भी समय गिर सकती है, परन्तु मानसून के पूर्व जून-जुलाई में आमतौर पर ऐसी घटनाएं अधिक होती है। दोपहर एवं सायंकाल के मध्य आकाशीय बिजली की घटनाएं सर्वाधिक देखी गई है। रबर सोल के जूते अथवा टायर से बचाव नही हो सकता है। यह आवश्यक नही है कि बारिश के दौरान ही बज्रपात हो, ऐसी घटना वर्षा ऋतु में तूफान के 10 मील के दायरे तक संभावित हो सकती है। आकाशीय बिजली की घटना तूफान आने के पहले व बाद में भी घटित हो सकती है। बिजली एवं इलेक्ट्रॉनिक के समस्त उपकरणों के संपर्क से दूरी बनायें एवं उन्हें पावर प्लग से पृथक करें, ताकि मुख्य सप्लाई से बिजली का प्रवाह नही हो पाये, घरेलू अथवा कार्यालयीन समस्त विद्युत उपकरणों अथवा विद्युत आउटलेट से जुड़ी किसी भी चीज का उपयोग न करें। बिजली का प्रवाह किसी भी इलेक्ट्रिकल्स सिस्टम मोबाइल, रेडियो और टेलीविजन, रिसेप्सन सिस्टम और क्रांकीट की दीवारें फर्श में धातु के तारों के माध्यम से हो सकता है, घर व कार्यालयों में अर्थिंग होना सुनिश्चित करें। खुले हुए खिड़की दरवाजे, धातु के पाइप इत्यादि के पास खड़े न रहे, पानी के धातु के पाइप से बिजली प्रवाहित हो सकती है, बिजली गिरने की संभवना हो तो पाइप लाइन से दूर रहें।

एसडीएम ने दिए एफआईआर के आदेश खसरा हुआ लॉक

अवैध कॉलोनी निर्माण कराना पड़ा महंगा

*** नगर की समीपी ग्राम पंचायत पुरवा का है मामला।**

हरिभूमि न्यूज ⏭ मण्डला

न्यायालय अनुविभागीय दंडाधिकारी मंडला ने अवैध कॉलोनी के निर्माण करने वाले डॉ महेन्द्र कुमार तेजा और दिलीप गौतम पर कार्यवाही करने के आदेश तहसीलदार को जारी किए हैं। प्रकरण क्रमांक 0266/बी121/ 2627 आदेश पारित दिनांक 24 जून 2026 को दिए गए आदेश में नामांतरण की कार्यवाही में रोक लगाने के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के बाद तहसीलदार ने नामांतरण कार्यवाही पर रोक लगाते हुए संबंधित भूमि के खसरे में अहस्तांतरणीय कर दिया है वहीं संबंधित कॉलोनी के विक्रेताओं पर एफआईआर भी किए जाने की प्रक्रिया को प्रचलन में ले लिया गया है। मामला महाराजपुर राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय पहुंचा है। जांच में सामने आया कि ग्राम पंचायत क्षेत्र की भूमि पर बिना सक्षम अनुमति के प्लॉट काटे गए और अवैध कॉलोनी विकसित कर दी गई। न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 61 के तहत कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार राजस्व निरीक्षक महाराजपुर के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा ग्राम सकवाह प.ह.नं. 90 तहसील व जिला मंडला स्थित भूमि खसरा नंबर 4/3/1 रकबा 0.4017 हे. भूमि में से विक्रय किये गये भू खंड विक्रय संख्या 09 पर अनावेदक डॉ. महेन्द्र कुमार तेजा निवासी रानी अवंती बाई वार्ड मंडला एवं दिलीप गौतम निवासी ग्राम कटरा तहसील व जिला मंडला के द्वारा अवैध रूप से कालोनी निर्माण किया जाना पाया गया। विक्रेताओं के द्वारा उक्त भूमि के विक्रय किये जाने की अनुमति नहीं ली गई है और न ही कालोनाईजर रजिस्ट्रीकरण कराया गया है। प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अनावेदक को म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61 (घ) के तहत नोटिस जारी कर आहूत किया गया। अनावेदक अनुपस्थित रहा एवं अनावेदक द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रकरण के संबंध में राजस्व निरीक्षक महाराजपुर द्वारा प्रतिवेदन एवं मौका स्थल जांच कर पंचनामा व मौके के फोटोग्राफस जांच में लेख किया गया है ग्राम सकवाह प.ह.नं. 90 तहसील व जिला मंडला स्थित भूमि खसरा नंबर 4/3/1 रकबा 0.4017 हे. भूमि में से विक्रय किये गये भू खंड विक्रय संख्या 9 पर अनावेदक श्री महेन्द्र कुमार तेजा एवं दिलीप गौतम के द्वारा अवैध रूप से कॉलोनी निर्माण किया जाना पाया गया। विक्रेताओं के द्वारा उक्त भूमि के विक्रय किये जाने की अनुमति नहीं ली गई है और न ही कालोनाईजर रजिस्ट्रीकरण कराया गया है। जो कॉलोनाइजर एक्ट के विरूध्द एवं म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61 घ उपधारा 1 व 2 का उल्लंघन किया गया है। प्रकरण में आये तथ्यों, दस्तावेजों एवं अनावेदक के तर्क श्रवण उपरांत पाया गया कि ग्राम बिनैका प.ह.नं. 70 रा.नि. मं. महाराजपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 4/3/1 रकबा 0.4017 हे. भूमि में से विक्रय किये गये भू खंड विक्रय संख्या 09 पर अनावेदक द्वारा अवैध रूप से कालोनी निर्माण किया जाना पाया गया जो कि म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61 घ (3) में स्पष्ट है जो कोई अवैध व्यपवर्तन का या अवैध कॉलोनी निर्माण का अपराध करेगा या उसके लिये जाने का दुष्प्रेरण करेगा वह सादा कारावास जो छह माह तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो कम से कम दस हजार रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किये जाने का प्रावधान है। विक्रेता द्वारा अवैध कालोनी का निर्माण किया गया है जो अपराध की श्रेणी में आता है। अतः मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61 घ (3) के अंतर्गत उक्त कालोनी को अवैध घोषित की जाती है। सबंधित हल्का पटवारी उक्त प्रकरण बिना सूचना व्यपवर्तन में दर्ज करें साथ ही उक्त ख.नं. के कैफियत कॉलम 12 में अहस्तांतरणीय दर्ज किया जावे। प्रकरण नस्तीबध्द होकर दा.द. हो। यह आदेश आज दिनांक 24/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा सहित खुली न्यायालय में उदघोषित एवं पारित किया गया।

इनका कहना -

एसडीएम के आदेश पत्र के बाद संबंधित अवैध कॉलोनी का खसरा अहस्तांतरणीय किया गया है। वहीं एफआईआर की प्रक्रिया प्रचलन में है।

-हिमांशू भलावी,
तहसीलदार मंडला

नहीं लग रही झोला छाप डॉक्टरों पर लगाम

हरिभूमि न्यूज ⏭ मण्डला/निवास

सरकार की गाइड लाइन के अनुसार जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा हर वर्ष जिले के सभी ब्लॉक मेडिकल अधिकारियों को आदेशित किया जाता है कि अपने अपने क्षेत्र का भ्रमण कर जहाँ कहीं भी ऐसे कथित डॉक्टर जो खुद की पैथी के विरुद्ध उपचार कर रहे हों, उन पर वैधानिक कार्रवाई करते हुये क्लीनिक शील कर शीर्ष अधिकारी को सूचित करें लेकिन निवास खंड चिकित्सा अधिकारी द्वारा हर वर्ष उक्ताशय पर मनमानी करते हुये चिन्हित झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई कर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली जाती है जिससे निवास व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में झोलाछाप कथित डॉक्टरों की भरमार हो गई है।

क्या है बीएचएमएस और बी ए एमएस

उक्त डिग्री से सिर्फ होम्योपैथी, इलेक्ट्रिक व रॉक पत्थर मेग्नीट से उपचार किया जाता है जबकि होम्योपेथी में छोटी सफेद गोलियों में अर्क दवा की बुँदे मिलाकर रोग अनुसार रोगी को दी जाती हैं, लेकिन उक्त डिग्री की आड़ में ऐसे लोग खुद को एलोपैथी का स्पेसलिस्ट बताकर विभिन्न रोगों का इलाज कर रहे हैं जो स्वास्थ्य विभाग व कानूनन खिलाफ है, इसके बावजूद निवास बीएमओ द्वारा ऐसे कथित डॉक्टरों पर कार्रवाई न करना इनके साथ सांठ गांठ को दर्शाता है।

निवास में खुले बड़े अवैध अस्पताल

निवास मुख्यालय में ही कई वर्षों से अनेकों झोलाछाप डॉक्टर क्लीनिक खोलकर बेख़ौफ़ जटिल से जटिल रोगों का न सिर्फ इलाज कर रहे हैं बल्कि बॉटल भी लगा रहे हैं, वहीं कुछ दवा बिक्रेता दुकान की आड़ में बिना डिग्री डिप्लोमा के या तो खुद इलाज की दुकान खोलकर बैठे हैं या अपनी दुकान के अंदर झोलाछाप डॉक्टर बैठाकर सरेआम मरीजों को इलाज के नाम पर अनाप शनाप पैसे बसूल रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में कोई देखने सुनने वाला नहीं

ऐसे झोलाछाप डॉक्टर निवास, पिपरिया,मनेरी,बिसौरा, बबलिया आदि गांवों में अपनी क्लीनिक खोलकर बैठ बेधड़क पैथी के विरुद्ध डॉक्टर खुद को एमबीबीएस से कम नहीं आंकते व सभी साध्य असाध्य बीमारियों को चुटकियों में ठीक करने के नाम पर गरीब मरीजों से मनमानी राशि बसूल रहे हैं।

वहीं जब इनके इलाज से मरीज मरणासन्न हो जाते हैं तब ये डॉक्टर मरीजों के परिजनों को इन्हें निवास या महानगर ले जाने की सलाह देकर अपने को शुरक्षित कर लेते हैं।

पुलिस मुख्यालय द्वारा, नशे से दूरी है जरूरी

मण्डला। 2.0 जागरूकता अभियान के तहत दिनांक 21.07.2026 को पुलिस अधीक्षक राजेश रघुवंशी जिला मंडला के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवकुमार वर्मा, एसडीओपी निवास पीएल बालरे के मार्गदर्शन में थाना टिकरिया थाना प्रभारी प्रदीप कुमार पांडेय द्वारा शासकीय हाई स्कूल देवहार, शासकीय हाई स्कूल मानेगांव एवं एकीकृत शाला शासकीय हाई स्कूल पाठा के छात्र-छात्राओं को थाना प्रभारी टिकरिया प्रदीप पांडेय द्वारा व्याख्यान दिया गया, छात्र-छात्राओं को पंपलेट वितरण कर शपथ दिलाई गई, नशे से होने वाले दुष्प्रभाव के संबंध में बताया गया है अभियान में थाना टिकरिया से प्रधान आरक्षक भैया लाल, आरक्षक प्रकाश जांघेला एवं शासकीय स्कूल के शिक्षकों की उपस्थिति रही।

निर्माणाधीन ओवरब्रिज पर करंट से मजदूर की मौत

हरिभूमि न्यूज ⏭ मण्डला

मंडला जिले के बम्हनी-मंडला मार्ग पर लिमरुआ रेलवे फाटक के पास निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज पर मंगलवार को करंट लगने से मजदूर की मौत हो गई। उमरिया जिले के 24 वर्षीय मजदूर रामप्रकाश बैगा की करंट से मौत के बाद निर्माण स्थल पर श्रमिकों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।

साथी मजदूरों ने बताया कि निर्माण स्थल पर रात के काम के लिए बिछाए गए बिजली के तारों को सुबह हटाया नहीं गया था। मंगलवार दोपहर रामप्रकाश जैसे ही लोहे की सरिया उठाने लगा, वह सीधे बिजली के तारों के संपर्क में आ गई। जोरदार करंट लगने के बाद साथी मजदूर उसे तुरंत बम्हनी अस्पताल ले गए, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।

हादसे के बाद श्रमिकों ने निर्माण कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उनसे जोखिम भरे माहौल में काम कराया जाता है और सुरक्षा के लिए जरूरी हेलमेट, दस्ताने या जूते तक उपलब्ध नहीं कराए जाते।

ओवरब्रिज का निर्माण 'मधुसूदन अग्रवाल प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड' द्वारा कराया जा रहा है। कंपनी के सुपरवाइजर लक्ष्मीकांत ने हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता देने और सुरक्षा इंतजाम बेहतर करने का आश्वासन दिया।

बम्हनी पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है और शव को मॉर्चुरी में रखवाकर परिजनों को सूचित कर दिया गया है।

कठिनाईयों को लेकर नर्सिंग कर रही छात्राओं ने जनसुनवाई में लगाई गुहार

*** छात्रवृत्ति न मिलने से आर्थिक रूप से आ रही परेशानी।**

हरिभूमि न्यूज ⏭ मण्डला

पिछले काफी समय से नर्सिंग कोर्स कर रही छात्राओं को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ कॉलेजों के द्वारा नियम विरूद्ध प्रबंधन के चलते मामला इतना आगे तक पहुंचा कि इसकी सीबीआई जांच तक शासन को कराना पड़ी और उसके बाद से नर्सिंग की परीक्षा लंबे समय से नहीं हो पा रही और जब परीक्षायें ही नहीं हो रही तो फिर छात्रायें आगे की कक्षाओं में कैसें जायेंगी। कहने का आशय कि यह पूरी प्रक्रिया फिलहाल विराम की स्थिति में है न तो परीक्षायें हो रही हैं और न ही अन्य गतिविधियाँ छात्राओं को जो शासन की ओर से सहयोग हेतु छात्रवृत्ति दी जाती थी वह भी लंबे समय से छात्राओं को प्राप्त नहीं हो रही है।

जिले के नर्सिंग महाविद्यालय में नर्सिंग परीक्षा लम्बे समय से आयोजित नहीं की गई है, जिसके कारण छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है छात्रायें अगले शैक्षणिक सत्र में प्रवेश नहीं ले पा रही जिससे उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है। साथ ही उन्हें छात्रवृत्ति की राशि भी प्राप्त नहीं हो रही है जिससे आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। कई छात्राओं के लिये के लिए पढ़ाई का खर्च उठाना मुश्किल हो गया है।

जनसुनवाई में उपस्थित होकर इन छात्राओं ने कलेक्टर मण्डला से निवेदन किया कि हमारी नर्सिंग परीक्षा शीघ्र आयोजित कराने तथा लंबित छात्रवृत्ति की राशि जल्द से जल्द विद्यार्थियों के खातों में जारी कराने हेतु संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।

बदहाली | **गोकुलधाम सोसायटी में ठेकेदार की मनमानी से जनता बेहाल।**

विकास की सड़क या भ्रष्टाचार का तालाब?

*** सीवर लाइन और नल-जल योजना ने उखाड़ी सड़क।**

हरिभूमि न्यूज ⏭ मण्डला

शहर को स्मार्ट और सुविधायुक्त बनाने के बड़े-बड़े दावे करने वाली नगरपालिका मंडला की जमीनी हकीकत दादा धनीराम वार्ड क्रमांक-24 स्थित गोकुलधाम सोसायटी में साफ दिखाई दे रही है। यहां सीवर लाइन और नल-जल योजना के नाम पर ठेकेदार ने पूरी सड़क खोद डाली, लेकिन काम पूरा होने के बाद सड़क की मरम्मत करना शायद जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी ही नहीं समझी। पहली ही बारिश ने विकास के दावों की परतें उधेड़ दीं और पूरी सड़क तालाब में तब्दील हो गई।

आज हालात यह हैं कि सड़क पर चलना किसी जोखिम से कम नहीं। गड्ढों में भरा पानी दुर्घटनाओं को खुला निमंत्रण दे रहा और दोपहिया वाहन चालक हर पल गिरने के खतरे के बीच सफर कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? सबसे बड़ा सवाल नगरपालिका परिषद और संबंधित सीवर लाइन ठेकेदार पर खड़ा होता है। क्या विकास कार्यों का मतलब सिर्फ सड़क खोदकर छोड़ देना है? क्या जनता की परेशानी से किसी को कोई सरोकार नहीं?

कॉलोनीवासियों का कहना है कि वे नियमित रूप से नगरपालिका कर, नजूल कर और अन्य सभी करों का भुगतान करते हैं, लेकिन बदले में उन्हें सुविधाओं के नाम पर जलभराव, कीचड़ और बदहाल सड़कें मिल रही हैं। यह अव्यवस्था नहीं, बल्कि आम नागरिकों के अधिकारों की अनदेखी है

नवनीत साहू मीडिया प्रभारी एवं कॉलोनीवासियों ने कलेक्टर महोदय मंडला से मांग की है कि वे स्वयं स्थल का निरीक्षण कराएं, संबंधित अधिकारियों एवं ठेकेदार की जवाबदेही तय करें और सड़क की जल्द से जल्द मरम्मत कराकर जल निकासी की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करें।

विकास का मतलब केवल योजनाओं का उद्घाटन नहीं, बल्कि लोगों को सुरक्षित और सुविधाजनक जीवन देना है। यदि जिम्मेदार विभाग और ठेकेदार इसी तरह मनमानी करते रहे, तो जनता का भरोसा विकास पर नहीं टिक पाएगा।

दस्तक अभियान के तहत 5 हजार से अधिक बच्चों की स्क्रीनिंग

*** 21 जुलाई तक चले अभियान में डायरिया, निमोनिया एवं कुपोषण की रोकथाम पर विशेष फोकस।**

हरिभूमि

न्यूज ⏭ मण्डला

जिले में बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित दस्तक अभियान के तहत 14 जुलाई से 21 जुलाई 2026 तक व्यापक स्तर पर स्क्रीनिंग एवं स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गईं। अभियान के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आशा कार्यकर्ताओं की संयुक्त टीमों ने घर-घर पहुंचकर पांच वर्ष तक के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया तथा आवश्यक उपचार एवं परामर्श उपलब्ध कराया।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. डी.जे. मोहन्ती ने बताया कि दस्तक अभियान प्रदेश की एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य गतिविधि है, जिसका संचालन स्वास्थ्य विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के समन्वय से किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य पांच वर्ष तक के बच्चों में डायरिया, निमोनिया, कुपोषण एवं अन्य बाल्यकालीन बीमारियों की समय रहते पहचान कर उपचार सुनिश्चित करना है, ताकि बाल मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। अभियान के अंतर्गत बच्चों को ओआरएस एवं जिंक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन-ए तथा 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को आयरन-फोलिक एसिड (आईएफए) अनुपूरण भी कराया गया। साथ ही गंभीर कुपोषित बच्चों की सक्रिय पहचान कर आवश्यकतानुसार उपचार एवं रेफरल की व्यवस्था की गई।

14 जुलाई से 21 जुलाई तक अभियान की प्रमुख उपलब्धियों में 5 वर्ष तक के 5005 बच्चों की स्क्रीनिंग कर ली गई है जिसमें से तीन कुपोषित बच्चों की पहचान हुई है। स्क्रीनिंग के दौरान ही 4,480 बच्चों को विटामिन-ए की खुराक दी गई। सामान्य दस्त से प्रभावित 161, गंभीर निर्जलीकरण का एक सहित कुल 4,240 बच्चों को ओआरएस पैकेट वितरित किए गए हैं। स्क्रीनिंग के दौरान निमोनिया से प्रभावित 5 बच्चों की पहचान भी की गई है।

नाम सुधार सूचना

मैं RAJESH ISSRANI उम्र 53 वर्ष S/O LEKHRAJ ISSRANI मेरे passport no. S154897 में मेरा नाम (RAJESH KUMAR ISRANI) लिखा हुआ है जो की बदल कर (RAJESH ISSRANI) कर लिया है जो कि मेरे आधार, पेन और अन्य सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है अतः मुझे मेरे सही नाम (RAJESH ISSRANI) से जाना पहचाना जाए।

नया नाम
RAJESH ISSRANI
पुराना नाम
RAJESH KUMAR ISRANI
पता -: सुभाष वार्ड नं 14 बिझी मंडला

खबर संक्षेप

स्कूल के समय भारी वाहनों पर नो एन्ट्री लगाये जाने की मांग .

हरिभूमि न्यूज/ सांईखेड़ा। जहां एक ओर सांईखेड़ा क्षेत्र में लगातार विकास की बात तो आये दिन होते हुए सुनी जा रही है। मगर नगर की प्रमुख समस्या को लेकर आज तक निजात दिलाने की ओर किसी भी प्रकार की पहल नही होना जहां क्षेत्र में लगातार हो रहे विकास के कार्यो पर प्रश्न चिन्ह लगते हुए देखा जा रहा है? वही दूसरी ओर आम लोगों की जिन्दगी भी इस समस्या के चलते खतरे से खाली दिखाई नही दे रही है, क्योंकि इस समस्या के बीच गरीब लोगों को मौत के मुख्य में बैठकर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए मजबूर देखा जा रहा है? बताया जाता है कि नगर के बीचों बीच से निकला हुआ प्रदेश की राजधानी से जुड़ने वाले स्टैट स्तर के मार्ग पर जिस प्रकार से दिन भर भारी वाहनों की धमाचौकड़ी लगी रहती है। वही दूसरी ओर इस मार्ग के किनारे ही लगने वाले साप्ताहित बाजार में दुकानदारी करने वालों के लिए भी खतरे की घंटी बजाते हुए यह वाहन तेज गति से दौड़ रहे है? इतना ही नही इसी मार्ग से जहां नगर के स्कूली बच्चों का आना जाना रहता है, वही दूसरी ओर अन्य शासकीय कार्यालयों में पहुचने वाले लोगों का भी दिन पर इस मार्ग पर आनाजाना होने क कारण जब इस मार्ग से भारी भरकम वाहनों का निकलना होता है तो आये दिन जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है, वही दूसरी ओर बाजार के दिन तो यह हाल होता है कि लोगों का निकलना ही मुश्किल हो जाता है। इस सच्चाई को देखते हुए बीते लम्बे समय से लोगों द्वारा सांईखेड़ा में वायपास मार्ग की मांग की जा रही है, मगर इस ओर किसी भी जिम्मेदार द्वारा ध्यान नही दिये जाने के कारण जहां आम लोगों के लिए खतरा पैदा हो रहा है, वही दूसरी ओर किसी दिन कोई बड़ी घटना की संभावना से भी इंकार नही किया जा सकता है? इस प्रकार से नगर के मुख्य मार्ग से निकलने वाले भारी भरकम वाहनों की आवाजाही को लेकर नगर के लोगों द्वारा सुबह 9 बजे से 11 बजे तक तथा शाम 3 बजे से 5 बजे तक तथा बाजार के दिन दोपहर 3 बजे से शाम 8 बजे तक नो एन्ट्री लगाये जाने की मांग की जा रही है। लोगों का कहना है कि यदि प्रशासन द्वारा इस प्रकार की व्यवस्थाओं के चलते उदासीनता बरती गई तो निश्चित ही किसी दिन सांईखेड़ा बाजार में कोई बड़ी घटना घटित होने की संभावना को नजर अंदाज करना मुश्किल साबित हो सकता है?

नगर में चल रहे मांस मछली के अवैध कारोबार

हरिभूमि न्यूज/गाडरवारा। भले ही नगर पालिका द्वारा मांस मछली विक्रय करने के लिये जगह निर्धारित की गई है। मगर इसके बाद भी लोगों द्वारा नगर में जहां तहां खुलेआम मांस मछली का विक्रय करते हुये देखा जा रहा है जिसके चलते नगर का वातावरण तो प्रदूषित हो ही रहा है साथ ही साथ लोगों की धार्मिक भावनाओं को भी ठेंस पहुंचने से नही चूक रही है? इस प्रकार से मांस मछली विक्रय करने वालो की मनमानी पर अंकुश न लग पाना नपा प्रशासन की उदासीन कार्य प्रणाली सहित पुलिस प्रशासन की उदासीनता को भी उजागार करने से नही चूक रही है? जिसके चलते इस प्रकार से नगर में धडल्ले से जहां तहां हो रहे मांस मछली के विक्रय से नगर में गंदगी फैलने के साथ साथ लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेंस पहुंचने से भी नही चूक रही है? क्योंकि इस प्रकार से मांस मछली सहित अंडे का व्यापार करने वाले लोगों द्वारा न तो नगर के मंदिरों का ध्यान रखा जा रहा है और न ही शिक्षण संस्थाओं का जिसके चलते लोगों में इस प्रकार से खुलेआम बिक रहे मांस मछली के विक्रय को लेकर आक्रोश देखने मिल रहा है? इस प्रकार से धडल्ले से विक्रय होने वाले मांस मछली की सच्चाई इस समय नगर की पानी टंकी सहित सहित अन्य स्थानों पर देखने मिल रही है। बताया जाता है कि पानी टंकी के पास जहां नगर का एक मात्र गायत्री मंदिर स्थित है वही हनुमान मंदिर के साथ साथ शिक्षण संस्था भी स्थापित है, मगर इसके बाद भी यहां पर प्रतिदिन शाम के वक्त जहां खुलेआम मछली विक्रय होते हुये देखी जा रही है वही अनेक मांस की दुकाने भी संचालित हो रही है।

मोतियों की माला की तरह बिखर गया मूंग को लेकर अन्नदाता के सपनों का गुरूर

किसानों की मेहनत की सही दाम नहीं मिलने से टूट गया दुनिया का पेट भरने वाला माटी पुत्र

हरिभूमि न्यूज/गाडरवारा। सरकारों द्वारा आये दिन मंचों से यह बात कहते तो सुना जाता है कि किसानों द्वारा पैदा की जाने वाली फसल को इस तरह के दामों पर खरीदी जावेगी जिससे किसान अपनी खेती को लाभ का धंधा बना सके। मगर जब किसानों द्वारा खून पसीना एक करते हुये फसल तैयार की जाती है तो उसके सही दाम नही मिलने के कारण माटी पुत्र अपने आपको ठगा हुआ महसूस करने से नही चूकता है। कुछ इसी तरह की सच्चाई इस समय भी देखने मिल रही है। क्योंकि जिस उम्मीद के साथ किसानों द्वारा अपने खेतों में गर्मी मौसम की मूंग लगाते हुये जो सपने देखे गये थें आज उन सपनों को मोतियों की माला की तरह बिखरते हुये आसानी से देखे जा सकते है..?

क्योंकि शासन द्वारा जिस प्रकार से किसानों द्वारा खून पसीना एक करते हुये अपने खेतों में मूंग तैयार करने में जो लागत लगाई गई है। मगर शासन द्वारा किसानों की मात्र 25 प्रतिशत मूंग समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने का निर्णय अब अन्नदाता को भारी पड़ने से चूक पाया है। क्योंकि अन्नदाता अपनी शेष 75 प्रतिशत मूंग को ओने पोने दामों में विक्रय करते हुये देखा जा रहा है। हर साल देखा जाता था कि किसानों द्वारा गर्मी मौसम में लगाये जाने वाली उड़द व मूंग को समर्थन मूल्य पर खरीद की जाती थी। इसी के चलते क्षेत्र में हर साल मूंग की पैदावार में बढ़ोत्तरी होते हुये देखी जा रही है। क्योंकि गर्मी मूंग फसल के माध्यम से जहां किसान अपनी जरूरतों को पूरा कर लेता था। मगर इस साल सरकार द्वारा मात्र 25 प्रतिशत मूंग को समर्थन मूल्य पर खरीदने के निर्णय ने अन्नदाता को कर्जदार बनाने में कोई कसर नही छोड़ी गई है। इस तरह मंडी में व्यापारियों द्वारा जिस दर से किसानों की मूंग फसल की खरीद की जा रही है उससे किसानों द्वारा फसल तैयार करने में लगाई गई लागत खड़ी होना भी मुश्किल होने से नही चूक पा रही है..? क्योंकि मूंग की फसल लागने के बाद जहां कीटों से सुरक्षा के लिये किसानों को मनमाने दामों पर अनेक प्रकार की दबाईयों का छिडकाव करते हुये बजाया जाता है। वही जब फसल तैयार हो जाती है तो उसकी कटाई के लिये भी काफी लागत लगाई जाती है। मगर किसान इस लागत को इस सोच के चलते लगा देता है कि शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदी करते हुये अन्नदाता को काफी हद तक राहत पहुंचा दी जावेगी।

वैसे ही सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर गर्मी मूंग फसल की खरीदी को लेकर जो निर्णय लेते हुये मात्र 25 प्रतिशत मूंग की खरीद की जा रही है उससे क्षेत्र के अन्नदाताओं में रोष दिखाई देने से नही चूक रहा है। क्योंकि सदा ही किसान अपनी फसल में जो लागत लगाता है वह कर्ज के रूप में होती है। यदि किसी दुकान से दबाई खरीदेगा या फिर खाद पावडर हो वह सब उधार के रूप में लेता है और दुकानदार को यही भरोसा देकर आता है कि फसल आने के बाद विक्रय करते हुये उसे चुकता कर देगा। इस स्थिति में जब फसल तैयार हो जाती है तो उसको शीघ्र विक्रय करने के लिये किसान मजबूर होता है। यदि वह अपने घर में रखे रहे तो उसका ब्याज चुकता करना मुश्किल हो जाता है। इस तरह चारों ओर से कर्ज के बोझ में दबे हुये अन्नदाता किसान के सामने अपनी फसल को बेचने के लिये मजबूरी बनी रहती है। मगर सरकार द्वारा जिस तरह माटी पुत्र को धोखा दिया जाता है उसके चलते वह टूटने से नही चूकता है...? कुछ इसी प्रकार की सच्चाई इस समय किसानों के सामने देखने मिल रही है। इसी मजबूरी के चलते किसानों द्वारा तेज तपन के बीच तैयार की गई मूंग फसल को ओने पोने दामों में विक्रय करते हुये देखा जा रहा है। सरकार के निर्णय ने जहां अन्नदाता की उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया है। इस तरह मात्र 25 प्रतिशत मूंग खरीदने को लेकर सरकार के निर्णय पर जब क्षेत्र के किसानों से चर्चा की गई तो क्षेत्र के कृषक दिग्विजय सिंह का कहना है कि निश्चित ही किसान जब अपने खेतों में कोई फसल तैयार करता है तो उसका विक्रय करते हुये अपनी अनेक जरूरत पूर्ण करने की सोच रखता है। यदि समय पर उस फसल का सही दामों में विक्रय न हो पावे तो किसान परेशानियों से घिरने से नही चूकता है।

कुछ इसी प्रकार की सच्चाई इस समय क्षेत्र के किसानों की भी देखने मिल रही है। क्योंकि क्षेत्र के किसानों ने गर्मी सीजन की मूंग बड़ी ही उम्मीदों के साथ मनमानी लगाते लगाते हुये तैयार की गई थी। मगर सरकार के मात्र 25 प्रतिशत मूंग खरीदेने के निर्णय ने अन्नदाता की मानों कमर ही तोड़ दी है। किसानों की पूरी मंगम समर्थन मूल्य पर नही खरीदी को लेकर अब किसानों को उसे ओनेपोने दामों में बेचने के लिये मजबूर होते हुये देखा जा रहा है जिससे उसकी लागत निकलना भी मुश्किल हो गया है। इसी प्रकार से ग्राम महगंवा निवासी कृषक सुधीर कौरव का कहना है कि लगता है कि किसानों का अब भगवान ही मालिक है। क्योंकि इस समय भले ही किसानों द्वारा की गई मेहनत से मूंग की पैदावार संतोषजनक हो गई है। मगर जब किसानों को उसके सही दाम नही मिलेगे तो उसकी लागत कैसे निकलेगी। क्योंकि किसानों को उम्मीद थी कि उसकी शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर हर साल की भांति मूंग खरीदी जावेगी और वह अपनी लागत खड़ी कर लेगा। मगर मात्र 25 प्रतिशत मूंग खरीदने के निर्णय ने अन्नदाता को बर्बाद कर दिया गया है। इस प्रकार से ग्राम सास बहु निवासी युवा कृषक महेश पटैल का कहना है कि जिस प्रकार से किसान मुश्किलों के बीच घिरा हुआ है वह खत्म होने का नाम नही ले रही है। क्योंकि किसान बीते हुये कुछ वर्षो से प्रकृति की मार झेल रहे थें। मगर किसानों को भले ही इस वर्ष प्रकृति ने साथ देते हुये मूंग फसल ने चेहरों पर मुस्कान ला दी गई थी। मगर शासन की नीति के चलते अन्नदाता को रोने के लिये मजबूर करने के साथ साथ कर्जदार बनने में कोई कसर नही छोड़ी गई है। क्योंकि सही दाम नही मिलने के कारण अब बरसात की व्यवस्था बनाने से लेकर नई फसल बोने के लिये कर्ज उठाना पड़ रहा है।

वही ग्राम कामती निवासी अरविंद ममार का कहना है इस समय क्षेत्र के किसानों का गर्मी मूंग की फसल को लेकर लगातार रूझान बड़ रहा था। क्योंकि मूंग फसल का शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने की स्थिति में किसानों द्वारा उसमें लगाई गई लागत खड़ी हो जाती थी। मगर इस साल जिस तरह मात्र 25 प्रतिशत मूंग को समर्थन मूल्य पर खरीदने के निर्णय ने निश्चित किसानों को परेशानी में डाल दिया गया है। क्योंकि 75 प्रतिशत मूंग जो आधे से अधिक होती है उसे बाजार में विक्रय करने के लिये मजबूर होना पड़ रहा है और बाजार में मूंग का जो रेट मिल रहा है उससे मूंग फसल को तैयार करने में लगाई गई लागत भी खड़ी नही हो पा रही है। सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर पूरी मंगू की खरीदी नही किये जाने से अन्नदाता के सपनों को चकराचूर कर दिया गया है।

सांझा चूल्हा कार्यक्रम ने गांवों में तोड़ा दम, बच्चे खिचडी भरोसे चला रहे अपना काम

हरिभूमि न्यूज/ सांईखेड़ा। साझा चूल्हा पोषण आहार कार्यक्रम यहॉ एक औपचारिकता बन कर रह गया है। वही क्षेत्र के कई गॉवों में इस योजना ने दम तोड दिया है? गांवों में जाकर देखा जावे तो वहां पर न तो मीनू के अनुसार भोजन तैयार हा रहा है और न ही बच्चों को दिया जा रहा है और न ही साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है? सरकार ने ग्रामीण स्कूलों के बच्चों और महिला एवं बाल विकास विभाग की आँगनवाड़ियों के बच्चों के लिए एक ही चूल्हे पर ताजा और पौष्टिक आहार देने की योजना को लागू तो किया गया है। किन्तु योजना का समुचित लाभ बच्चों को नही मिल रहा है, योजना के सफल कार्यान्वयन में ग्रामीणों की उदासीनता भी चिंता का विषय बन गई है? वही दूसरी ओर गौर किया जावे तो पंचायतों के प्रमुख माने जाने वाले सरपंच और सचिव भी अपने कर्तव्य निर्वहन के प्रति जागरूक नजर नही आ रहे है? स्कूली बच्चों के लिए दिए जाने वाले मध्यान्ह भोजन को लेकर भी ग्रामीणों की आये दिन शिकायते है कि साझा चूल्हा योजना में गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर विशेष ध्यान दिए जाने के निर्देश है, किन्तु समूहों की महिलाओं के पतियों ने इसे व्यवसाय का माध्यम बना लिया है, जो मीनू का समुचित पालन ही नही हो रहा है? यही नही क्षेत्र के कई गाँवों में विभागीय साँठ गाँठ के चलतें योजना कागजों में चल रही है और उनका भुगतान भी समूह ले रहे है? जन चर्चाओं से मिल रही जानकारियों के अनुसार मध्यान्ह भोजन में मंगलवार को पुरी पुलाव के साथ खीर एवं आलू टमाटर की सब्जी व शनिवार को रोटी चावल के साथ मूँग की दाल, राजमा, टमाटर की सब्जी परोसने का प्रावधान है? किन्तु हो यह रहा है कि समूह इनका पालन नही कर पा रहे है, गुणवत्ता पर भी ऊँगलियॉ उठ रही है, सरकार ने समूहों को स्वच्छता रखने के लिए साबुन पानी की बाल्टियाँ, तौलिए, रसोई किट आदि उपलब्ध कराए है। किन्तु इनका उपयोंग समूहों के परिजन कर रहे है।

पंचायतों में पौधें के साथ प्लेट फार्म भी हो रहे हैं गायब हर वर्ष लाखों खर्च होने के बाद भी दर्शन नहीं दे रहे पेड़

हरिभूमि न्यूज/कल्याणपुर। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के तहत क्षेत्रवासियों की उम्मीद थी कि इस योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत मे लगाए जा रहे पेड़ों से क्षेत्र हरित जिले मे स्थान पा सकेगा। लेकिन आलम यह है कि लगाए गए पेड़ तों गायब ही है साथ ही उनके लिए बने प्लेट फार्म भी लगभग गायब होते जा रहे है। जिस कारण क्षेत्रवासियों का यह समना ग्राम पंचायतों के पिछली पंचवर्षीय सरपंच, सचिवों एवं योजना को लागू करने वाले अधिकारी एवं उपयांत्रियों की मनमानी की भेंट चढ़ने से नही चूक पाया है? जानकारी अनुसार क्षेत्र की अनेक ग्राम पंचायतों में वर्तमान समय तक बमुश्किल पचास प्रतिशत भी पेड़ सुरक्षित नही है अधिकतर ग्राम पंचायतों का हाल यह है कि लगभग सारे पेड़ सूख चुके है और उनके लिए बनाए गए प्लेट फार्म टूटकर विखरने लगे है। उल्लेखनीय है कि क्षेत्र की प्रत्येक ग्राम पंचायतों मे ग्रामीणों को काम देने और हरियाली बढ़ानें के उद्देश्य से बड़ी संख्या मे पेड़ लगाए गए थे जिसके लिए करोड़ो रूपये का बजट खर्च किया गया है। इस योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत मे वृक्षारोपण, वृक्षों

की सुरक्षा एवं सिंचाई पर लगभग लाखो रूपये की राशि खर्च की गई है। लेकिन इस खर्च का कोई मतलब नही दिखाई दे रहा है? बीते हुए वर्षो में इस योजना के अंतर्गत तहसील के लगभग प्रत्येक ग्राम पंचायतों मे पौधें लगाने के लिए राशि उपलब्ध कराई गई थी। लेकिन ट्री गार्ड के निर्माण कार्यो में अनेकों ग्राम पंचायतो मे अनियमितता बरती गई है? जिसका जीता जागता उदाहरण जनपद पंचायत चीचली, सांईखेड़ा व चांवरपाठा की अनेक ग्राम पंचायत में जाकर देखा जा सकता है। हैरत की बात तो यह है कि क्षेत्र के आला अधिकारी भी इस विषय की जानकारी रखते हुये भी इस ओर कड़े कदम उठाने की बजाय चुप्पी साधें हुये है। क्षेत्र मे जहां कही भी हरियाली महोत्सव के नाम राशि को खर्च किया गया है। वहां यह योजना दम तोड़ चुकी नजर आ रही है। काबिल गौर है कि रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों को काम मुहैया कराने व विकास के उद्देश्य से यह योजना क्रियान्वित की गई थी। लेकिन जहां कही भी यह योजना हरियाली महोत्सव के नाम पर चलाई गई वहां परिणाम केवल कागजों मे सिमट कर रह गए है। वस्तु स्थिति कुछ अलग बयां कर रही है कि ट्री गार्ड तो निर्माण करवाये गए थें। लेकिन पौधे तैयार नही हो सके,क्षेत्र की अनेक ग्राम पंचायतों मे जाकर देखा जाए तो ट्री गार्ड के नाम पर इस राशि का बंदरवाट जमकर किया गया है? वही कुछ पंचायातों में तो ट्री गार्ड के नाम से राशि निकालकर पौधों के चारो ओर बेसर्म की बाड़ी लगा दी गई थी, जिससे पैसा की जगह बेसर्म तैयार हो गई है। पूर्व के पंचायती राज कार्यकाल के समय मे रहे सरपंच और सचिव तथा अधिकारियों की मिली भगत दिखाई दे रही है, इसके लिए समूचा प्रशासन तंत्र व ग्राम पंचायत के जन प्रतिनिधियों की अनियमितताएं खुले रूप मे उजागर हो रही है? विभिन्न ग्राम पंचायतों के विगत पंचवर्षीय मे सरपंच, सचिव व अधिकारियों की इस घोर अनियमितता के चलते क्षेत्रवासियों का हरित क्रांति का सपना अधूरा रह गया है..?

नगर के खम्बों में मकड़ी के जाल की तरह उलझी केबिलों में आये दिन लग रही आग

हरिभूमि न्यूज/सांईखेड़ा।

जहां एक ओर बिजली विभाग द्वारा आये दिन क्षेत्र के किसानों से बिजली बिलों की बसूली करने के नाम पर जहां उनका समान सहित अन्य सामग्री कुर्क करते हुए उन्हें अपमानित करने से नही चूकते है। वही दूसरी ओर किसानों को अच्छी बिजली व्यवस्था उपलब्ध कराने के नाम पर देखा जावे तो बिजली विभाग की उदासीनता के चलते क्षेत्र के किसानों को प्रतिवर्ष लाखों रूपया की क्षति का सामना करने के साथ साथ अपनी जान तक गंवाने के लिए मजबूर होना पड़ता है..? यदि इस बात की सच्चाई पर गौर किया जावे तो शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के खेतों से लेकर मुख्य मार्गो पर झूला के समान लटकते हुए बिजली तारों को देखा जावे तो वह खुलेआम खतरे की घंटी बजाते हुए आसानी से देखे जा सकते है? क्योंकि बिजली विभाग द्वारा वर्षो पुरानी बिजली लाईनों में किसी भी प्रकार का बदलाव नही किये जाने के कारण जहां उन लाईनों में तार टूटने के साथ साथ अन्य खराबियां होने के कारण किसानों को सप्लाई होने बाली

बिजली में बाधित होना पड़ता है। वही आये दिन झूलते हुए बिजली तारों से निकलने वाली चिंगारियों के चलते क्षेत्र के किसानों के खेतों में खड़ी हुई फसले राख होते हुए देखी जाती है? कुछ इसी प्रकार की सच्चाई इस समय ग्रामों के अंदर देखी जा रही है, जहां पर कुछ वर्ष पहले बिजली विभाग द्वारा तारों को निकलते हुये केबिल डाली गई है। मगर उसके रख रखाब में बरती जा रही उदासीनता का परिणाम इस प्रकार से देखा जा रहा है कि बारिश का मौसम शुरू होते ही बिजली खम्बो पर लगी हुई केबिल लाईनों में आये दिन फाल्ट बनने के कारण आग लगने से नही चूक रही है। कुछ इसी प्रकार की सच्चाई बीते हुये दिवस उस समय देखने मिली जब अचाकन दो खम्बों में लगी हुई केबिल में अचानक आग लग जाने के कारण पूरे क्षेत्र की की बिजली लाईन बंद होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करने के लिये मजबूर होते हुये देखा गया, वह तो अच्छा हुआ कि ग्राम के अंदर कोई बड़ी घटना घटित नही हुई यदि बिजली केबिल में लगी हुई आग आसपास के घरों को अपनी चपेट में ले लेती तो निश्चित ही ग्राम के अंदर बड़ी घटना घटित होने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता था।

सड़कों पर घूम रहे आवारा जानवरों से दुर्घटनाओं की बढ रही संभावनाएं

हरिभूमि न्यूज/गाडरवारा।

शहर में चहुँओर आवारा जानवरो के जमावड़े धमा चौकड़ी खबरे लगातार अखबारों की सुर्खियो में बने रहने के बाद भी नगर में अभी तक उन्मुक्त घूमने वाले बिना धनीधोरी के जानवरो के विचरण की समस्या हल नहीं हुई है, पूर्व में नपा. ने आवारा जानवरो के नियंत्रण के लिए हाका गैंग बनाकर पशु पालको को अपने पशु घर पर रखने की चेतावनी भी दी थी। किन्तु कथित तौर पर नपा. के आवारा जानवरों के नगर में विचरण की रोक के प्रयास बेअसर साबित हुए और इन दिनों हालत यह है कि आवारा जानवरों व पशुओं का आतंक चरम पर पहुँच रहा है। बताया जाता है कि शक्कर नदी पुल, शुक्रवारा बाजार, थाना, कचहरी के प्रांगण, शालाओं के इर्दगिर्द, पानी की टंकी के पास के सब्जी बाजार, नगर की मुख्य सड़को पर रात दिन आवारा जानवरों की मौजूदगी से कई बार जाम लगने के हालात बन जाते है और यातायात बाधित हो जाता है, आटो, दो पहिया वाहन चालको ने बताया कि ठंड की रातो के समय सड़को पर जब अँहधेरा छाया रहता है तो चौराहो, स्टेशन रोड, झंडा चौक पर आवारा जानवरों का झुंड उमड़नें से उन्हे वाहन चलाने में दिक्कत तो होती है, साथ ही दुर्घटनाओं का अंदेशा भी बना रहता है। वही बड़े वाहन चालको का कहना है कि शक्कर नदी पुल के आगे झुंड में बैठे आवारा जानवर दूर से नही दिखते और जब गाड़ी उन तक पहुँचती है, तो अचानक ब्रेक लगाने से अनहोनी की आशंका बनी रहती है, गौरतलब है कि शहर की सड़को पर मवेशियो का कब्जा रहने से जहां सुबह शालाओं में जाने वाले बच्चो को स्कूल आने जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, वही जवाहर कृषि उपज मंडी प्रांगण में खुलेआम घूमने वाले आवारा जानवरो की दहशत से क्षेत्र के मंडी में आने वाले किसान भी परेशान हो रहे है।

नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत रामगढ़ स्कूल में विद्यार्थियों को किया जागरूक

डिंडोरी। जिले में कलेक्टर के निर्देशन में संचालित "नशे से दूरी है जरूरी 2.0" अभियान के अंतर्गत सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग तथा पुलिस प्रशासन के मार्गदर्शन में दिव्य ज्योति सोशल डेवलपमेंट सेंटर द्वारा संचालित शिवनिल नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र ने विकासखंड अमरपुर के मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल, रामगढ़ में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।कार्यक्रम में विद्यार्थियों के लिए रंगोली, चित्रकला एवं वाद-विवाद प्रतियोगिताओं के साथ नशा मुक्ति ओरिएंटेशन तथा विभिन्न विभागों द्वारा करियर काउंसलिंग का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं और संवाद के माध्यम से विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए स्वस्थ, सकारात्मक एवं अनुशासित जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री वरकड़े ने कहा कि नशे की लत एक बार लग जाने पर उससे बाहर निकलना बेहद कठिन होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को नशे से दूर रहकर अपने जीवन को सही दिशा देनी चाहिए। खेल एवं युवा कल्याण विभाग की आरती सोंधिया ने "खेल से दोस्ती, नशे से दूरी" का संदेश देते हुए कहा कि खेल युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच विकसित करते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से नियमित रूप से खेल गतिविधियों में भाग लेने और नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहने का आह्वान किया।यातायात थाना प्रभारी सुभाष उइके ने कहा कि नशे का मार्ग ऐसा रास्ता है, जहां एक बार कदम बढ़ जाने पर वापस लौटना कठिन हो जाता है। उन्होंने विद्यार्थियों से जीवन में मिलने वाले सकारात्मक अवसरों का लाभ उठाने और नशे से हमेशा दूर रहने की अपील की।

शिवनिल नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र की रितु सेन ने कहा कि नशा एक उपचार योग्य बीमारी है। यदि कोई व्यक्ति इसकी गिरफ्त में आ जाए तो उसे छिपाने के बजाय नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कर विशेषज्ञों की सहायता लेनी चाहिए, ताकि वह दोबारा सामान्य और सम्मानजनक जीवन जी सके। कार्यक्रम के अंत में माय भारत के श्री आर.पी. कुशवाहा एवं श्री शिल्प साहू ने सभी अतिथियों, विद्यार्थियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए नशामुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया। विद्यालय परिवार ने भी सभी वक्ताओं के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए विद्यार्थियों को नशे से दूर रहकर उज्ज्वल भविष्य निर्माण का संकल्प दिलाया।कार्यक्रम का संचालन आर.पी. कुशवाहा ने किया। इस अवसर पर शिवनिल नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र से देवराज कछवाहा, रितु सेन, बच्चू नाथ चौहान एवं अजीत धनंजय, खेल एवं युवा कल्याण विभाग से सुनीता धुर्वे, विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

खबर संक्षेप

सीएम हेल्पलाइन निराकरण में डिंडौरी प्रदेश में दूसरे स्थान पर राजस्व विभाग प्रथम

डिंडौरी। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन प्रकरणों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निराकरण में डिंडौरी जिले ने एक बार फिर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। जून 2026 की मासिक सीएम हेल्पलाइन ग्रेडिंग में जिले ने 84.40 वेटेज स्कोर प्राप्त कर ग्रुप-बी में प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। इसके साथ ही जिला लगातार एक वर्ष से 'ए' ग्रेड बनाए रखने में सफल रहा है।जिला प्रशासन के अनुसार यह उपलब्धि कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया के मार्गदर्शन में शिकायतों की नियमित समीक्षा, प्रभावी मॉनिटरिंग तथा समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किए जाने का परिणाम है। वहीं, राजस्व विभाग ने 87.10 वेटेज स्कोर के साथ ग्रुप-बी में प्रदेश में पहला तथा समूचे प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। विभाग के इस प्रदर्शन से जिले को भी गौरव मिला है।जिला प्रशासन ने इस उपलब्धि का श्रेय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दिव्यांशु चौधरी, अपर कलेक्टर जे.पी. यादव, प्रभारी अधिकारी सीएम हेल्पलाइन वैद्यनाथ वासनिक सहित सभी विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के समन्वित प्रयासों को दिया है।प्रशासन ने कहा कि भविष्य में भी आमजन की शिकायतों का त्वरित, पारदर्शी और संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित करने के लिए इसी प्रकार प्रभावी कार्य जारी रखा जाएगा।

गर्भवती दुधारू गाय की मौत पर लापरवाही का आरोप, किसान ने जांच और मुआवजे की मांग की

डिंडोरी। विकासखंड मेंहदवानी के ग्राम कठौतिया निवासी सुरेश कुमार साहू ने जनसुनवाई में आवेदन देकर पशु चिकित्सालय मेंहदवानी के चिकित्सक पर उपचार में लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधित चिकित्सक के विरुद्ध कार्रवाई तथा आर्थिक क्षतिपूर्ति दिलाने की मांग की है।शिकायत के अनुसार, सुरेश कुमार साहू ने वर्ष 2025 में लगभग 75 हजार रुपये में एचएफ (होल्स्टीन फ्रिजियन) नस्ल की एक दुधारू गाय खरीदी थी, जो सात माह की गर्भवती थी। उनका कहना है कि गाय की तबीयत अचानक बिगड़ने पर उन्होंने 1962 पशु एम्बुलेंस सेवा पर फोन कर उपचार के लिए सूचना दी। आरोप है कि पशु चिकित्सालय मेंहदवानी से चिकित्सक के व्यस्त होने की जानकारी देते हुए उनके स्थान पर एक कर्मचारी को भेजा गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि कर्मचारी द्वारा दवा दिए जाने के बाद गाय के गर्भस्थ बछड़े की मौत हो गई। इसके अगले दिन 14 जुलाई 2026 की सुबह करीब 9:30 बजे दुधारू गाय ने भी दम तोड़ दिया। उनका दावा है कि यदि पशु चिकित्सक स्वयं समय पर पहुंचकर उपचार करते तो गाय की जान बचाई जा सकती थी।आवेदन में सुरेश कुमार साहू ने आरोप लगाया है कि कथित लापरवाही और कर्तव्य में उदासीनता के कारण उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शहपुरा से पूरे मामले की जांच कर दोषी पाए जाने पर संबंधित चिकित्सक के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने तथा उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है।

294 परिवारों ने भू-हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा

हरिभूमि न्यूज कोतमा। नगरपालिका परिषद कोतमा के बाजार एरिया स्थित नजूल भूमि पर वर्षों से निवास और व्यवसाय कर रहे 294 परिवारों ने स्थायी भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका (भूमि स्वामित्व अधिकार) की मांग को लेकर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर में याचिका दायर की है।

निर्धारित समय पर नहीं खुल रहे ब्लॉक मुख्यालय के कई कार्यालय, ग्रामीणों को हो रही परेशानी

अमरपुर। शासन द्वारा शासकीय कार्यालयों के संचालन के लिए निर्धारित समय तय किए जाने के बावजूद अमरपुर ब्लॉक मुख्यालय के कई कार्यालयों में इसका पालन नहीं होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई कार्यालय निर्धारित समय पर नहीं खुलते, जिससे आम नागरिकों को अनावश्यक इंतजार करना पड़ता है। मंगलवार को उप तहसील कार्यालय में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोपहर करीब 1:30 बजे तक कार्यालय का मुख्य द्वार बंद रहा, जबकि विभिन्न कार्यों से पहुंचे किसान कार्यालय खुलने का इंतजार करते रहे। बताया गया कि लगभग 1:40 बजे एक कर्मचारी पहुंचा, जिसके बाद कार्यालय का ताला खोला गया।स्थानीय लोगों का कहना है कि उप तहसील कार्यालय में कर्मचारी अक्सर निर्धारित समय से काफी देर बाद पहुंचते हैं। इसके कारण नामांतरण, फौती, बंटवारा सहित अन्य राजस्व संबंधी कार्य प्रभावित होते हैं और किसानों को बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं।ग्रामीणों ने प्रशासन से कार्यालयों में समयबद्ध उपस्थिति सुनिश्चित कराने तथा आमजन को होने वाली असुविधा दूर करने की मांग की है।

जनसुनवाई में 77 आवेदनों पर सुनवाई समय-सीमा में निराकरण के निर्देश

डिंडौरी। कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में अपर कलेक्टर जेपी यादव ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने प्राप्त आवेदनों पर संबंधित विभागीय अधिकारियों को नियमानुसार जांच कर समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान संयुक्त कलेक्टर भारती मेरावी, एसडीएम डिंडौरी रामबाबू देवांगन, डिप्टी कलेक्टर वैद्यनाथ वासनिक सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।जनसुनवाई में कुल 77 आवेदन प्राप्त हुए। ग्राम अमगवां निवासी अहिल्या बाई झारिया ने अपने दिवंगत पति, जो पंचायत समन्वयक अधिकारी के पद पर कार्यरत थे, के जीपीएफ एवं जीआईएस की लंबित राशि के भुगतान संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया। इस पर अपर कलेक्टर ने सीईओ जनपद पंचायत शहपुरा को प्रकरण की जांच कर शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए।

ग्राम टिकरिया, ग्राम पंचायत पड़रिया-2 के ग्रामीणों एवं विद्यालय प्रबंधन ने प्राथमिक शाला भवन के अत्यधिक जर्जर होने की जानकारी देते हुए नए भवन के निर्माण की मांग की। इस पर जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) को स्थल निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।ग्राम मोहदा निवासी राजकुमार साहू ने शासकीय नाले को निजी भूमि से पृथक कराने तथा अतिक्रमण हटाने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया, ताकि किसानों को आवागमन में सुविधा मिल सके। वहीं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय रूसा (करंजिया) में कार्यरत अस्थायी अंशकालीन भृत्य कर्मचारियों ने नियमित मानदेय भुगतान की मांग रखी। इस संबंध में सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।अपर कलेक्टर जेपी यादव ने कहा कि जनसुनवाई का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करना है। उन्होंने सभी विभागों को प्रत्येक आवेदन की गंभीरता से जांच कर पात्र हितग्राहियों को शीघ्र राहत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

नगर परिषद शहपुरा में 13.42 लाख रुपये के कथित वित्तीय गबन की शिकायत, जांच की मांग

डिंडोरी। नगर परिषद शहपुरा में करीब 13 लाख 42 हजार 797 रुपये के कथित वित्तीय गबन और खरीद प्रक्रिया में अनियमितताओं का मामला सामने आया है। मामले को लेकर शिकायतकर्ता ने कलेक्टर डिंडोरी, अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) शहपुरा, संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास जबलपुर, आयुक्त नगरीय प्रशासन भोपाल तथा आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि नगर परिषद शहपुरा द्वारा जीईएम (GeM) पोर्टल के माध्यम से केमिकल एवं सफाई सामग्री की खरीदी के नाम पर 13.42 लाख रुपये से अधिक का भुगतान किया गया, जबकि संबंधित सामग्री नगर परिषद के स्टोर में प्राप्त नहीं हुई। शिकायतकर्ता का दावा है कि यह तथ्य सूचना के अधिकार (आरटीआई) से प्राप्त दस्तावेजों, बैंक भुगतान अभिलेखों तथा स्टोर के आकस्मिक निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर सामने आया है।ज्ञापन के अनुसार क्रेसोल रेड इंडिकेटर, टेमेफोस कीटनाशक, फिनाइल तथा टॉयलेट क्लीनिंग पाउडर सहित विभिन्न सामग्रियों के भुगतान किए गए, लेकिन निरीक्षण के दौरान स्टोर में इनका भौतिक सत्यापन नहीं हो सका। शिकायत में यह भी कहा गया है कि कोविड-19 के बाद नगर परिषद द्वारा इन रसायनों का नियमित उपयोग नहीं किया गया तथा सफाई कर्मचारियों के कथित बयानों में भी इसकी पुष्टि होने का दावा किया गया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि फर्जी भौतिक सत्यापन, कूटरचित अभिलेख तैयार कर भुगतान किए जाने तथा निविदा और खरीद प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं बरती गई हैं। साथ ही नगर परिषद में अन्य निर्माण कार्यों एवं खरीदी की भी विशेष ऑडिट कराने की मांग की गई है।ज्ञापन में संबंधित अधिकारियों से मामले की एसआईटी अथवा उच्च स्तरीय जांच कराने, कथित दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं संबंधित फर्म के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने तथा शासकीय राशि की वसूली सुनिश्चित किए जाने की मांग की गई है।

राष्ट्रीय हिन्दू सेना संगठन का शहपुरा में विस्तार, शिवम साहू बने जिला महामंत्री

शहपुरा। राष्ट्रीय हिन्दू सेना संगठन ने जिले में अपने संगठनात्मक विस्तार के तहत शहपुरा विकासखंड के ग्राम करौंदी में सदस्यता एवं पदाधिकारी नियुक्ति कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम के दौरान करौंदी निवासी शिवम् साहू को संगठन का जिला महामंत्री नियुक्त किया गया। साथ ही क्षेत्र के कई युवाओं ने संगठन की सदस्यता ग्रहण कर राष्ट्र एवं समाज सेवा के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने का संकल्प लिया।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संभाग अध्यक्ष कृपेश नामदेव ने कहा कि राष्ट्रीय हिन्दू सेना संगठन सामाजिक समरसता, राष्ट्रभक्ति और जनसेवा की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से कार्य कर रहा है। उन्होंने युवाओं से संगठन से जुड़कर समाजहित में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

जिला अध्यक्ष देवलाल उसराठे ने नव-नियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संगठन की मजबूती कार्यकर्ताओं की सक्रियता और जनसेवा की भावना पर आधारित है। उन्होंने सभी सदस्यों से संगठन के उद्देश्यों को गांव-गांव तक पहुंचाने और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का आग्रह किया।कार्यक्रम में शहपुरा नगर अध्यक्ष हरिलाल यादव, बिजोरी पंचायत अध्यक्ष मनोज यादव (सानू), पंडित जी सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।कार्यक्रम के अंत में नव-नियुक्त जिला महामंत्री शिवम् साहू ने संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करेंगे तथा जिले में संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए निरंतर कार्य करेंगे।

स्कूल के सामने तेज रफ्तार वाहनों पर लगे लगाम

अमरकंटक। नगर परिषद अमरकंटक क्षेत्र में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण मांग उठाई गई है। कल्याणिका केंद्रीय शिक्षा निकेतन विद्यालय एवं शिशु मंदिर के सामने से गुजरने वाले मार्ग पर वाहनों की तेज रफ्तार से बढ़ रहे दुर्घटना के खतरे को देखते हुए सांसद प्रतिनिधि प्रकाश द्विवेदी विक्की ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) को ज्ञापन सौंपकर तत्काल स्पीड ब्रेकर निर्माण कराने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि विद्यालय के सामने से होकर दोपहिया, चारपहिया और अन्य भारी वाहन तेज गति से गुजरते हैं। प्रतिदिन सैकड़ों छात्र-छात्राएं, शिक्षक, अभिभावक और स्थानीय नागरिक इसी मार्ग का उपयोग करते हैं। ऐसे में तेज रफ्तार वाहनों के कारण हर समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है और बच्चों की सुरक्षा गंभीर चिंता का विषय बन गई है। सांसद प्रतिनिधि प्रकाश द्विवेदी विक्की ने नगर परिषद प्रशासन का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग की कि विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने निर्धारित मानकों के अनुरूप स्पीड ब्रेकर का निर्माण कराया जाए तथा स्कूल क्षेत्र होने की चेतावनी देने वाले संकेतक भी लगाए जाएं, ताकि वाहन चालक अपनी गति नियंत्रित रखें और संभावित हादसों से बचा जा सके। यदि समय रहते आवश्यक सुरक्षा उपाय नहीं किए गए तो भविष्य में कोई अप्रिय घटना घट सकती है। इसलिए जनहित और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नगर परिषद को इस दिशा में शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए। ज्ञापन प्राप्त होने के बाद सीएमओ से इस मांग पर त्वरित एवं सकारात्मक कार्रवाई की अपेक्षा जताई गई है। वहीं स्थानीय नागरिकों और अभिभावकों ने भी इस पहल का समर्थन करते हुए कहा कि स्कूल के सामने स्पीड ब्रेकर बनने से बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित होगी और सड़क दुर्घटनाओं की संभावना काफी हद तक कम हो जाएगी।

पंचायत अलौनी में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप, जांच की मांग-एक ही सड़क पर दो वर्क आईडी से भुगतान और कंटिजेंसी बिलों से खरीदी पर उठे सवाल

डिंडौरी। अमरपुर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत अलौनी में 15वें एवं 5वें वित्त आयोग की राशि के उपयोग को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। पंचायत दर्पण पोर्टल पर दर्ज भुगतान विवरण के आधार पर शिकायतकर्ताओं ने निर्माण कार्यों में वित्तीय नियमों की अनदेखी और भुगतान प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है।शिकायत के अनुसार पंचायत में सीसी सड़क, तार फेंसिंग एवं अन्य निर्माण कार्यों की सामग्री खरीदी के भुगतान आकस्मिक (कंटिजेंसी) बिलों के माध्यम से किए गए। आरोप है कि कई बिलों में सामग्री की दर, जीएसटी और विक्रेता संबंधी जानकारी स्पष्ट नहीं है, जिससे भुगतान की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं।

सबसे बड़ा सवाल एक सड़क निर्माण कार्य में दो अलग-अलग वर्क आईडी से भुगतान को लेकर उठाया गया है। शिकायत के अनुसार 15वें वित्त आयोग के तहत वर्क आईडी क्रमांक 117004554 पर 2 लाख 45 हजार रुपये और वर्क आईडी क्रमांक 117004839 पर 1 लाख 39 हजार रुपये का भुगतान दर्ज है। दोनों कार्यों की तस्वीरें एक जैसी होने का दावा करते हुए मामले की जांच की मांग की गई है।इसके अलावा सीसी सड़क निर्माण के लिए 2 लाख रुपये के भुगतान में मस्टर रोल, माप पुस्तिका और अन्य अभिलेखों की जांच की मांग भी की गई है।शिकायतकर्ताओं का कहना है कि यदि सभी भुगतान नियमानुसार हुए हैं तो संबंधित दस्तावेजों के आधार पर स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। वहीं अनियमितता पाए जाने पर जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई है।

खबर संक्षेप

कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा

तेंदूखेड़ा। विद्युत संबंधी समस्याओं के निराकरण की दिशा में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हाल ही में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। फिर भी समस्याएं यत्र तत्र जन्म ले रही है। हमारे प्रतिनिधि को मिली जानकारी के अनुसार समीपी ग्राम खमरिया बरांझ में बस स्टाफ के समीप एन एच 45 पर बड़ी लाइन का खंबा झुक गया है।कभी भी गिर सकता है।जिसे तत्काल प्रभाव से सुधार हेतु ग्राम के लोगों ने विद्युत अधिकारियों से मांग की है।

जनसुनवाई में आये 84 आवेदन

हरिभूमि न्यूज, नरसिंहपुर। कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं सुनीं। जनसुनवाई में आवेदकों ने विभिन्न विषयों से संबंधित आवेदन पत्र प्रस्तुत किए। जनसुनवाई में विभिन्न समस्याओं से संबंधित कुल 84 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। कलेक्टर श्रीमती सिंह ने जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का तत्काल निराकरण किया। जिन आवेदन पत्रों का तत्काल निराकरण नहीं हो सका, उन आवेदन पत्रों को निर्धारित समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। जनसुनवाई में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उदय प्रताप सिंह और विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी मौजूद थे।

पुलिस की पिटाई के बाद युवक गायब

थाना प्रभारी पर 4 लाख रूपए मांगने का आरोप

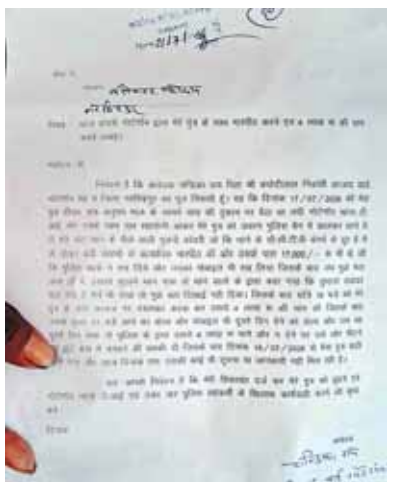

हरिभूमि न्यूज - नरसिंहपुर। जिले की पुलिस व्यवस्था पर आए दिन सवाल उठते रहते है। अनेकों मामलों मे पीड़ति पुलिस दर पर माथा टेकते रहते है लेकिन उन्हे न्याय नही मिल पा रहा है। जिले में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे है लेकिन विभाग के ही लापरवाह व गैर जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों की मिलीभगत एवं अवैध कार्यों के चलते पुलिस की छवि धूमिल हो रही है। ऐसा ही मामला गोटेगांव से सामने आया जिसमें थाना प्रभारी सहित चार पुलिस कर्मियों पर मारपीट करने तथा चार लाख रुपए मांगने का आरोप लगा है।जिले में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा पूरी तरह प्रयास किया जा रहा है। लेकिन पुलिस के अधिकारी कर्मचारी पुलिस अधीक्षक के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए आतुर है। वही सरकार द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त है। जिले मे ऐसें अनेकों मामले है जिन पर पुलिस अभी तक परिणाम तक नही पहुंच सकी है और फाइले दफ्तरों में धूल खा रही है। उन पर कार्रवाई करने व पीड़ति को न्याय दिलाने की अपेक्षा पुलिस अपनी जेब गर्म करने के लिए प्रयासरत नजर आती है। ऐसा ही मामला जनसुनवाई में सामने आया जिसमें थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिसकर्मियों को कटघरे मे खड़ा कर दिया है। अब देख होगा कि पुलिस अधीक्षक द्वारा शिकायत के बाद क्या कार्रवाई की जाती है। क्योंकि शिकायत में बताया गया है कि अवैध राशि की मांग करने व मारपीट के बाद पीड़ति का पुत्र गायब है।

मामला इस प्रकार

मंगलवार को जनसुनवाई में थाना क्षेत्र गोटेगांव निवासी पीड़ति चन्द्रिका राय द्वारा कलेक्टर को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। शिकायत में बताया गया है कि थाना प्रभारी गोटेगांव एवं अन्य चार पुलिस कर्मियों द्वारा उनके बेटे को चाय की दुकान से उठाकर थाना ले जाया गया जहां पर उसके साथ बर्बता के साथ मारपीट की गई। शिकयत में बताया गया कि उनके बेटे के पास 17 हजार रूपए नगद एवं मोबाइल था जो पुलिस ने रख लिया और मारपीट करने के बाद सादे कागज में हस्ताक्षर कराकर कहा कि सुबह 11 बजे 4 लाख रूपए लेकर आना और मोबाइल ले जाना इस शर्त पर छोड़ दिया। जबकि जानकारी मिलने बाद पीड़ति भी थाने बेटे को छुड़ाने लिए पहुंचा तो पुलिस ने यह कहकर चलता कर दिया कि उसका बेटा यहा नही है। शिकायत में बताया गया है कि उनका बेटा जो चाय की दुकान चलाकर परिवार का भरण पोषण कर रहा था वह उक्त घटना के बाद से गायब है जिसकी कोई जानकारी नही मिल रही है।

झूठे केस में फ़साने की धमकी

शिकायत में बताया गया है कि 17 जुलाई को बेटा दीपक राय अनुपम मॉल के सामने चाय पी रहा था तभी गोटेगांव थाना टीआई अपने 4 साथियों के साथ पहुंचे और दीपक को धक्के मारकर पुलिस वाहन में ठूँस कर थाने ले गए। शिकायत के मुताबिक थाने के पीछे बनी पुरानी कोठरी, जो सीसीटीवी की निगरानी से बाहर है, वहां ले जाकर दीपक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। दूसरे दिन फिर बुलाकर रकम न देने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई। 18 जुलाई को थाने गया दीपक घर नहीं लौटा और उसकी कोई जानकारी परिजनों को नहीं मिल पा रही है। न्याय के लिए परिजन दर-दर भटक रहे हैं। इसके पहले भी पूर्व में थाना प्रभारी गोटेगांव प्रदीप सराफ की कारगुजारियों पर सवाल उठने के साथ-साथ यह पैसे लेनदेन वसूली के आरोप पहले भी लग चुके हैं जिसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर को की थी लेकिन आज दिनांक तक थाना प्रभारी पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

थाना प्रभारी की कार्यप्रणाली पर सवाल

उक्त शिकायत के बाद थाना प्रभारी गोटेगांव की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे है। बीते दिनो भी गोटेगांव थाना प्रभारी पर आरोप लगे थे। जिसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से की गई लेकिन कोई ठोस कार्रवाई ना होने के कारण पीड़ति आज भी न्याय की आस में है। वही थाना प्रभारी की कार्यप्रणाली के चलते पुनः शिकयत की गई। अब देखना होगा की पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त शिकायत के बाद क्या कार्रवाई की जाती है। क्योकि गोटेगांव थाना क्षेत्र में अपराध कम होने का सिलसिला अनवरत बना हुआ है। यदि इसी प्रकार थाना प्रभारी को अभयदान बना रहा तो अपराध कम होने की वजाय बढ़ते ही जायेगें। गोटेगांव थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस अधीक्षक को थाना प्रभारी एवं अन्य चार पुलिस कर्मियों की जांच कराकर ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए। पीड़ति ने बेटे को सकुशल वापस लाने की मांग भी की है।

इनका कहना है

उक्त संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो दोषी पाया जावेगा एस पर ठोस कार्रवाई की जावेगी।
संदीप भूरिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

श्रीनगर के प्राचीन राम मंदिर में भगवान जगन्नाथ को अर्पित हुआ भव्य छप्पन भोग

माफीदार परिवार ने निभाई सदियों पुरानी परंपरा, मौसी घर प्रवास के दौरान सप्तमी पर विशेष महाभोग

आस्था, श्रद्धा और सनातन परंपरा का अद्भुत संगम उस समय देखने को मिला जब श्रीनगर स्थित ऐतिहासिक एवं प्राचीन राम मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र एवं बहन सुभद्रा के श्रीचरणों में छप्पन प्रकार के व्यंजनों का भव्य महाभोग अर्पित किया गया। भगवान इन दिनों अपनी परंपरागत रथयात्रा के उपरांत मौसी घर (राम मंदिर) में नौ दिवसीय प्रवास पर विराजमान हैं। इसी पावन अवसर पर श्रीनगर के प्रतिष्ठित माफीदार परिवार द्वारा वर्षों से चली आ रही पारंपरिक सेवा का निर्वहन करते हुए मंगलवार भगवान को छप्पन भोग समर्पित किया गया।

धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान जगन्नाथ जब अपने मौसी घर पधारते हैं, तब नौ दिनों तक विशेष पूजा-अर्चना, भजन, आरती एवं सेवा का क्रम चलता है। श्रीनगर में भी यह परंपरा दशकों नहीं बल्कि पीढ़ियों से श्रद्धा और भक्ति के साथ निभाई जा रही है। भगवान के मौसी घर प्रवास के दौरान प्रतिदिन विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है, वहीं सप्तमी तिथि पर भगवान को छप्पन प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन, मिष्ठान, फल, पकवान और विभिन्न प्रकार के प्रसाद अर्पित किए जाते हैं।

बताया जाता है कि श्रीनगर का प्राचीन राम मंदिर तत्कालीन राजा रघु भोसले द्वारा निर्मित कराया गया था। उसी राजपरिवार के वंशज, जिन्हें आज माफीदार परिवार के नाम से जाना जाता है, इस धार्मिक परंपरा का वर्षों से पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ निर्वहन करते आ रहे हैं। मूलतः महाराष्ट्र से जुड़े इस परिवार का भगवान जगन्नाथ के प्रति विशेष आध्यात्मिक लगाव है और जब भी भगवान रथयात्रा के दौरान राम मंदिर स्थित मौसी घर में विराजते हैं, तब मुले परिवार पूरे नौ दिनों तक सेवा, पूजा और भोग की व्यवस्था अपने दायित्व के रूप में निभाता है।

इस वर्ष भी ब्रह्मचारी अचलानंद महाराज एवं ब्रह्मचारी श्री निर्विकल्प स्वरूप महाराज के पावन सानिध्य में छप्पन भोग का भव्य आयोजन सम्पन्न हुआ। भगवान का आकर्षक श्रृंगार किया गया तथा भगवान के समक्ष सुसज्जित रूप में रखे गए छप्पन प्रकार के व्यंजनों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। वैदिक मंत्रोच्चार, शंखध्वनि और आरती के बीच भगवान को महाभोग अर्पित किया गया, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा।

भोग अर्पण के उपरांत महाआरती संपन्न हुई और भगवान का प्रसाद श्रद्धालुओं में वितरित किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु, एवं धर्मप्रेमी इस दिव्य आयोजन के साक्षी बने। श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर परिवार की सुख-समृद्धि, क्षेत्र की उन्नति और विश्व कल्याण की कामना की।

संतों ने अपने आशीर्वचन में कहा कि भगवान जगन्नाथ की सेवा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, सेवा, समर्पण और लोककल्याण की जीवंत परंपरा है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन समाज को अपनी जड़ों से जोड़ते हैं और आने वाली पीढ़ियों में सनातन संस्कृति के प्रति आस्था को मजबूत करते हैं।श्रीनगर का यह धार्मिक आयोजन केवल पूजा-अर्चना तक सीमित नहीं, बल्कि यहां की ऐतिहासिक विरासत, राजपरिवार की परंपरा और जन-जन की अटूट श्रद्धा का जीवंत उदाहरण है। हर वर्ष हजारों श्रद्धालु इस अवसर की प्रतीक्षा करते हैं और भगवान जगन्नाथ के मौसी घर प्रवास तथा छप्पन भोग महोत्सव के दर्शन कर स्वयं को धन्य मानते हैं। 25 तारीख को देव सयानी एकादशी को भगवान अपने धाम वापस आएंगे जहां पारंपरिक मिलेगा भी आयोजन किया जाएगा

उचित मूल्य दुकान विक्रेताओं ने सौंपा ज्ञापन

हरिभूमि न्यूज - नरसिंहपुर। जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं को अतिरिक्त पारिश्रमिक का भुगतान समय पर न मिलने और वेतन में व्यापक विसंगति का मामला सामने आया है। इस संबंध में समस्त उचित मूल्य दुकान विक्रेता संघ की ओर से प्रहलाद कोचर द्वारा प्रभारी उप आयुक्त सहकारिता विभाग, जिला नरसिंहपुर को पुनः आवेदन पत्र सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है। दिए गए आवेदन के अनुसार, आपके कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सामान्य/2026/576 दिनांक 12 जून 2026 के माध्यम से प्रशासक, बी-पैक्स और समितियों को निर्देशित किया गया था कि पीडीएस विक्रेताओं का भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जाए, ताकि अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि म.प्र. सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ की शिकायत के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं को अतिरिक्त पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जा रहा है तथा वेतन में विसंगति बनी हुई है, जिसके तहत कलेक्टर दर से आधा वेतन दिया जा रहा है। पत्र जारी होने के बाद भी जिले की किसी भी उचित मूल्य दुकान के विक्रेता को लंबित अतिरिक्त पारिश्रमिक या भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे विक्रेताओं में अत्यधिक असंतोष है और उनका दैनिक कार्य संचालन प्रभावित हो रहा है। विक्रेताओं द्वारा मांग की गई है कि 12 जून 2026 के आदेश का तत्काल परिपालन कराते हुए समस्त बी-पैक्स और समितियों को भुगतान करने के निर्देश जारी किए जाएं, वेतन विसंगति दूर कर कलेक्टर दर के अनुसार भुगतान सुनिश्चित किया जाए तथा विलंब के कारणों से अवगत कराते हुए समय-सीमा निर्धारित की जाए। चेतावनी दी गई है कि यदि शीघ्र निराकरण नहीं होता है तो विक्रेताओं को आंदोलनात्मक कदम उठाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी समस्त जवाबदारी संबंधित अधिकारियों की होगी। इस संबंध में प्रार्थी प्रहलाद कौरव सहित अन्य विक्रेता उपस्थित रहे।

भूसे की तरह ठूंसे जा रहे मजदूर, क्या बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है जिला प्रशासन?

पिकअप में 50-50 मजदूर भरकर मौत से खिलवाड़, झोतेश्वर चौकी के सामने से निकलते हैं ओवरलोड वाहन

गोटेगांव। क्षेत्र में मजदूरों की सुरक्षा के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। निर्माण कार्य और कृषि कार्य के लिए ग्रामीण इलाकों से आने वाले मजदूरों को क्षमता से कई गुना अधिक संख्या में पिकअप वाहनों में भरकर ले जाया जा रहा है। ये ओवरलोड वाहन मुख्य मार्गों पर तेज रफ्तार से दौड़ रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।स्थानीय लोगों के अनुसार 10 से 15 लोगों की क्षमता वाले पिकअप वाहनों में 40 से 50 मजदूरों तक को बैठाया जाता है। मजदूर वाहन के पिछले हिस्से में असुरक्षित तरीके से बैठे और लटके हुए सफर करते हैं। इससे न केवल उनकी जान जोखिम में रहती है, बल्कि अन्य वाहन चालकों और राहगीरों की सुरक्षा भी प्रभावित होती है।

ग्रामीणों का कहना है कि पहले भी ओवरलोड पिकअप पलटने की घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें कई मजदूर घायल हुए थे। इसके बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही। सबसे गंभीर बात यह है कि ऐसे वाहन झोतेश्वर पुलिस चौकी के सामने से ही गुजरते हैं, लेकिन उन पर रोक नहीं लगाई जाती।

क्षेत्रवासियों ने सवाल उठाया कि पुलिस केवल दोपहिया वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई तक सीमित क्यों है, जबकि ओवरलोड पिकअप, डंपर और अन्य भारी वाहन खुलेआम नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। लोगों ने जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन विभाग से विशेष अभियान चलाकर ओवरलोड वाहनों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

नकली मक्का बीज और मटर मंडी को लेकर किसान संघ का प्रदर्शन

खराब बीज से फसल चौपट, हरजाना और मटर मंडी शुरू करने की मांग

गोटेगांव। भारतीय किसान संघ महाकौशल प्रांत की तहसील इकाई ने नकली मक्का बीज की बिक्री और मटर मंडी शुरू न किए जाने के विरोध में एसडीएम श्रीमती संघमित्रा गौतम को ज्ञापन सौंपा।संघ के पदाधिकारियों यशवंत पटेल, अभिषेक पटेल एवं ओमप्रकाश पटेल ने बताया कि किसानों को घटिया गुणवत्ता का मक्का बीज बेचा गया, जिससे फसल का अंकुरण नहीं हुआ। किसानों को बीज, बुआई और खाद की लागत का नुकसान उठाना पड़ा तथा खेत कई महीनों तक खाली पड़े रहे।संघ ने मांग की कि संबंधित व्यापारियों से किसानों को आर्थिक क्षतिपूर्ति दिलाई जाए तथा खाली रही जमीन का भी उचित मुआवजा दिया जाए। ज्ञापन में सर्वेन्द्र पटेल (सिमरिया) एवं लक्ष्मण सिंह पटेल सहित अन्य किसानों का उल्लेख करते हुए जैन ट्रेडिंग कंपनी और राजेंद्र ट्रेडर्स द्वारा बेचे गए DKB-9126 बीज की शिकायत की गई।इसके अलावा किसान संघ ने मटर मंडी शुरू करने की मांग करते हुए कहा कि निजी व्यापारियों द्वारा समय पर भुगतान नहीं करने और कई मामलों में राशि लेकर फरार होने की घटनाओं से किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। संघ ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा।

सांड का आतंक

महिला को किया चोटिल बच्चे को आये 12 टांके

तेंदूखेड़ा। इन दिनों नगरीय क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी निराश्रित मवेशियों और सांडों से लगभग हर वर्ग परेशान बना हुआ है।पशु पालकों ने इन्हें खुला छोड़ दिया है। जो मुख्य सड़क मार्गों पर आवागमन और सार्वजनिक स्थलों पर बाधक बनें हुए हैं। हमारे प्रतिनिधि को मिली जानकारी के अनुसार समीपी ग्राम सुन्हेटी में एक सांड के आतंक से ग्रामीण परेशान बनें हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह गली मुहल्लों में विचरण करता हुआ लोगों के घरों में भी घुस जाता है। और नुकसान पहुंचा देता है। ग्राम की ही सुमंत्रा बाई नामक महिला खेत से लौट रही थी जिसे मार दिया किसी भी तरह जान बचाकर भागी।इसी तरह ग्राम के यशवंत मेहरा नामक युवा को बुरी तरह से चोटिल कर दिया जिसके सिर में 12 टांके आये हैं। ग्रामीणों में भय और असुरक्षा की भावना उपज रही है।इस विषय को ग्राम के सरपंच ओमप्रकाश पटेल ने तहसीलदार तेंदूखेड़ा को भी लिखित में जानकारी दी है। तथा सुरक्षा की दृष्टि से उक्त सांड को अन्यत्र छुड़वाने की मांग की गई है।मांग करने वालों में श्याम लाल दौलत गनेश गोविंद रुपराम हेमराज तरबर चंद्रभान सुनील सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हैं।

श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान का हुआ शुभारंभ

तेंदूखेड़ा। विगत दिवस संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महा मुनिराज की शिष्या एवं आचार्य श्री समय सागर महाराज की आज्ञावर्तनी 105 आर्यिका प्रशांतमति माताजी एवं 105 आर्यिका विशुद्धमती माताजी का तेंदूखेड़ा की पावन धरा पर मंगल वर्षा योग जैन मंदिर प्रांगण तेंदूखेड़ा में संपन्न हो रहा है। वर्षा योग की प्रारंभिक बेला में अष्टान्हिका महापर्व के अवसर पर माता जी के मंगल सानिध्य में एवं स्थानीय विद्वान प्रतिष्ठाचार्य पंडित कमल कुमार शास्त्री के निर्देशन में श्री नवीन दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। जो 21 जुलाई से प्रारंभ होकर 29 जुलाई तक आयोजित होगा । विधान के प्रथम दिन 8 अर्घ्य समर्पित किए गए । इस विधान में प्रमुख पात्रों का चयन किया गया तथा ध्वजारोहण संपन्न हुआ।सौधर्म इंद्र आशीष अंजू मोदी कुबेर इंद्र रंजीत अनीता जैन महायज्ञ नायक अजय राज जैन श्रीपाल मैना सुंदरी दीपक प्रतिभा सिंघई ईशान इंद्र प्रदीप सुषमा चौधरी सानतकुमार कुमार इंद्र आशीष आकांक्षा चौधरी माहेंद्र इंद्र सुनील शशि मोदी यज्ञ नायक अर्पित हिमानी सेठ को प्राप्त हुआ । मंगल कलश स्थापना दयाचंद श्रीमती सुधा चौधरी प्रतीक स्वदेशी नवीन मोदी हीरा कोठारी विनीता पाटन प्रतिभा सिंघई ने किया एवं दीप प्रज्वलन पयोज मोदी ने किया । विधान में श्रावक श्रेष्ठि के रूप में प्रमोद अनीता पाटन वाले डॉ प्रकाश डॉ किरण प्रभा जैन सेठ ज्ञानचंद श्रीमती पदमा कुसुम संजय अर्चना स्वदेशी सेठ ज्ञानचंद मयंक मंजू प्रत्येंद्र के रुप में राजेश कठल श्रीमती केसर राजेश तिगड्डा राजश्री प्रवीण मरैठी शालिनी मिलन चौधरी रितु अपनी सहभागिता प्रदान कर रहे हैं ।इस अवसर पर पूज्यनीय आर्यिका प्रशांत मति माताजी ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि विधानों अनुष्ठान पूजन आदि में हमें शुद्ध और स्पष्टता साथ उच्चारण करना चाहिए संस्कृत भाषा के मंत्रों को संस्कृत भाषा में ही स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण के साथ बोलना चाहिए दूसरी भाषा के शब्दों को मिलाने से मंत्र खंडित हो जाता है और उसका प्रभाव क्षीण हो जाता है।

न्यायालय धर्मेन्द्र नागवंशी प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड नरसिंहपुर के अति. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश नरसिंहपुर म.प्र.
सूचनापत्र
सुरेश कुमार वर्मा आत्मज स्व. श्री सोबरनसिंह वर्मा उम्र 61 वर्ष निवासी रोंसरा, स्टेशनगंज नरसिंहपुर तह. व जिला नरसिंहपुर....आवेदक **बनाम** 1. आम जनता 2.शाखा प्रबंधक, यूनियन बैंक आफ इंडिया शाखा नरसिंहपुर 3.श्रीमती शशि वर्मा पत्नि स्व.श्री संतोष वर्मा उम्र 75 वर्ष 4.परितोष वर्मा आत्मज स्व. श्री संतोष वर्मा उम्र 35 वर्ष 5.अभितोष वर्मा आत्मज स्व. श्री संतोष वर्मा उम्र 32 वर्ष 6.सुप्रिया वर्मा पत्नि सिद्ध गोपाल वर्मा उम्र 35 वर्ष 7.सपना पटैल पत्नि श्री देवल पटैल उम्र 34 वर्ष 8.नरेश पटैल आत्मज स्व. श्री सोबरनसिंह पटैल उम्र 58 वर्ष 9.सोना ठाकुर पत्नि स्व. जगदीश ठाकुर उम्र 55 वर्ष सभी निवासी रोंसरा, स्टेशनगंज नरसिंहपुर ....अनावेदकगण
MJC-SUC-06/2026
पेशी दिनांक- 24.07.2026
इस न्यायालय में आवेदक सुरेश कुमार वर्मा ने अपनी माँ रामबाई ठाकुर के नाम से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा नरसिंहपुर में बचत खाता क्र. 420602030071204 में जिसमें लगभग 4,02,000 रुपये की राशि एवं देय ब्याज राशि को अकेले आवेदक को प्रदाय किये जाने हेतु उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्राप्ति इस न्यायालय में आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। यदि किसी भी व्यक्ति उक्त ऊपर वर्णित राशि आवेदक सुरेश कुमार वर्मा को प्रदाय किए हेतु उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रदाय किये जाने में किसी भी प्रकार की आपत्ति या कोई भी व्यक्ति इस प्रकरण में किसी भी प्रकार का हक या हित रखता है, तो वह पेशी दिनांक 24.07.2026 को स्वयं एवं अपने अधिवक्ता प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर दस्तावेजों सहित अपना जबाबदावा इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि आप लोग नियत पेशी दिनांक पर अनुपस्थित रहते है, तो इस न्यायालय के द्वारा आपकी अनुपस्थिति में प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए प्रकरण का निराकरण किया जावेगा।
यदि पेशी दिनांक को न्यायालय को कोई सार्वजनिक अवकाश घोषित हो जाता है तो प्रकरण की सुनवाई अगले कार्य दिवस में की जायेगी। इस न्यायालय की मुद्रा / सील से सूचनापत्र जारी किया गया।
दिनांक-25.06.2026
(धर्मेन्द्र नागवंशी)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड के प्रथम
मुद्रा अति. न्यायाधीश नरसिंहपुर म.प्र.